

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग।

संख्या:-प्र01/वि0स0 विविध-01/15-06

दिनांक- 04-02-19

कार्यालय आदेश

षोडश बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 191वें सत्र दिनांक- 11.02.2019 से 20.02.2019 तक विभागीय स्तर पर कार्यों के संपादनार्थ निम्नलिखित पदा0/कर्म0 को कार्यालय अवधि के बाद देर रात्रि तक ठहर कर कार्यों के निष्पादन हेतु आदेश दिया जाता है:-

(1)	श्री बीरेन्द्र कुमार ओझा	-	प्रशाखा पदाधिकारी
(2)	श्री उदय कुमार रविदास	-	डाटा विश्लेषक
(3)	श्री पंकज कुमार	-	कार्यालय अधीक्षक
(4)	श्री राजेश कुमार	-	कार्यालय अधीक्षक (बिहार विधान परिषद् कार्य हेतु)
(5)	श्री गणेश कुमार	-	आगत शाखा (कार्यालय अधीक्षक)
(6)	श्री रवि शंकर कुमार	-	लिपिक-सह टंकक (बिहार विधान सभा कार्य हेतु)
(7)	श्री रितेश कुमार सिंह	-	निर्गत शाखा
(8)	श्री विपुल कुमार	-	कम्प्यूटर ऑपरेटर (बिहार विधान सभा/परिषद्)
(9)	श्री मनोज कुमार	-	अदक्ष खलासी
(10)	श्री शंकर मिस्त्री	-	अदक्ष खलासी
(11)	श्री अखिलेश मिश्र	-	चौकीदार

(2) दिनांक 11.02.2019 से 20.02.2019 तक अथवा सत्र के सत्रावसान तथा विधान मंडल के प्रश्नावली प्राप्त होने के उपरान्त प्रशाखा पदाधिकारी प्रतिदिन आवश्यकतानुसार निश्चित रूप से कार्य संपादन तक ठहरेंगे।

(3) प्रशाखा पदाधिकारी पूरे सत्र तक कार्यालय अवधि के बाद रूककर रोस्टर व्यवस्था सुचारु रूप से चले इसे सुनिश्चित करेंगे। विधान सभा/विधान परिषद् से प्राप्त प्रश्न उसी दिन बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 एवं अनुषंगी कम्पनी/ब्रेडा/निगम को उत्तर के लिए भेजने की व्यवस्था एवं प्राप्त उत्तर की संचिका अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(4) विधायी कार्यों के लिए देर रात्रि तक रूकनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी को उपस्थिति के अनुसार कार्य दिवस में संध्या 7.00 बजे के बाद तक 100/- (एक सौ) रू0 का अल्पाहार कार्य दिवस में रात्रि 9.00 बजे या उसके बाद तक 250/- (दो सौ पचास) रू0 का भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(5) देर रात्रि तक रूकनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी उप सचिव कोषांग में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करेंगे।

सरकार के उप सचिव
04.02